समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)
-: आदेश :-

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 4309/आ०प्र०, दिनांक– 05.12.2014 के द्वारा भुकम्प जोन–(V एवं IV) में अवस्थित जिलों में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के क्षमता निर्माण हेतु भुकम्प एवं बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में **(Refresh Training)** प्रशिक्षण दिये जाने का निदेश प्राप्त है प्राप्त निदेश में मधेपुरा जिले के सभी 13 प्रखंडो से चयनित प्रशिक्षु को दो बैच कमशः 26–30 जनवरी–15 एवं 31जनवरी से –04 फरवरी–15 तक **NDRF** टीम के माध्यम से 05 दिवसीय **TOT** प्रशिक्षण दिया जाना है ।

विभाग द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में मधेपुरा के सभी 13 अंचलों से प्राप्त प्रशिक्षु की सूची एवं विभाग से निर्धारित तिथि के अनुसार निम्न प्रकार प्रशिक्षण कार्यकम निर्धारित किया जाता है :–

कमांक	अंचल का नाम	प्रशिक्षु की संख्या	प्रशिक्षण की तिथि	समय	स्थान
01	02	03	04	05	06
01.	मधेपुरा,शंकरपुर गम्हरिया ,घैलाढ़,कुमारखंड ,,मुरलीगंज ,,सिंहेश्वर	70	26जनवरी से 30जनवरी 15 तक	11:00 से 03:00	बी.एन.मंडल स्टेडियम ,मधेपुरा
02.	बिहारीगंज ,ग्वालपाड़, चौसा ,आलमनगर , उदाकिशुनगंज, पुरैनी	60	31जनवरी से 04फरवरी 15 तक	11:00 से 03:00	बी.एन.मंडल स्टेडियम ,मधेपुरा

प्रत्येक प्रशिक्षु स्वयंसेवक को जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु भोजन ,मानदेय एवं यात्रा व्यय के दर निम्न प्रकार से स्वीकृत है ।

यात्रा व्यय (प्रखंड से जिला आने जाने हेतु एक बार)	मानदेय	भोजन
150 रूपये	100 रूपये प्रतिदिन	150 रूपये प्रतिदिन

(इस प्रकार एक प्रशिक्षु पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय भोजन पर 750रू0 +यात्रा भत्ता 150 रू0 + प्रशिक्षण भत्ता 500 रू0 कुल 1400 रू0 प्रति प्रशिक्षु किया जाना है)

जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु **NDRF** टीम विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त की गई है , जिसके लिए आवासन एवं अन्य आकस्मिक खर्च के लिए 7000/–रू0 आकस्मिकता निधि की राशि विभाग द्वारा अनुमोदित है । साथ ही **NDRF** प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रतिदिन भोजन एवे नास्ता के लिए 150/– रू0 तथा मानदेय के लिए 100रू0 प्रति प्रशिक्षक दिया जाना है ।

(इस प्रकार **NDRF** टीम को कुल 10 दिनों के लिए प्रशिक्षकों की औसत संख्या 05 के आधार पर प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय 250 X 5 X 10 = 12500रू0 तथा 7000रू0 आवासन एवं भोजन हेतु कुल – 19000रू0 किया जाना है) तथा प्रशिक्षणोपरान्त **NDRF** टीम को खगड़िया जाने हेतु वाहन की भी व्यवस्था करना है ।

विभाग से इस मद में मो0 201500.00 रू0 का आवंटन प्राप्त है जो इस कार्यालय के पत्रांक .... दिनांक .... द्वारा जिला नजारत उप समाहर्ता मधेपुरा को उपलब्ध करा दिया गया है जिला नजारत उपसमाहर्ता,मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि उक्त कार्यक्रम का सफल संचालन कराया जाय साथ ही विभाग से निर्धारित मानदेय भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे नजारत उप समाहर्ता ,मधेपुरा से सम्पर्क स्थापित कर उक्त कार्यक्रम का प्रवेक्षण करेंगे तथा स्थिति से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेंगे। साथ ही प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए ।

जिला पदाधिकारी ,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 04 दिनांक 01-01-15

प्रतिलिपि : – सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : – नजारत उप समाहर्ता , मधेपुरा / प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : – अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : – अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन मधेपुरा / को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा / विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन, बिभाग , बिहार पटना ,को सादर सूचनार्थ ।

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।